

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-285/11
संस्थापित दिनांक-19.07.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
1- नवल पुत्र राजू जाति कोली उम्र 25 साल निवासी- ग्राम बडापुरा प्राणपुर तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री धीरेन्द्र परमार अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 13.01.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 354, 323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 16.07.2011 को समय सुबह 4:30 बजे स्थान फरियादिया भारती कोली के मकान के पास ग्राम प्राणपुर में आरोपी ने फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 11.01.2017 को फरियादिया भारती कोली एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी नवल कोली को भा.द.वि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया भारती कोली ने उसकी मां कस्तूरी बाई, भाई गजराज एवं भाई के साले जगराम के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 16.07.2011 को सुबह 4:30 बजे वह अपने घर से लोटा लेकर लेट्रिंग करने पास के बाड़े में गई थी। लेट्रिंग करके वापिस रास्ते में हैन्ड पंप के पास लोटा धोकर हाथ धो रही थी कि इतने में ही नवल कोली आया और उसकी बेइज्जती करने के लिये उसका किस ले लिया तथा उसे

अपने हाथों में चपेट लिया। वह चिल्लाई और उसका भाई मनीष आया तो नवल ने फरियादिया के बांये गाल में नाखून मार दिया तथा वह गिर गई जिससे उसे चोट आ गई। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से थाना चंदेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.07.2011 को समय सुबह 4:30 बजे फरियादिया भारती कोली के मकान के पास ग्राम प्राणपुर में आरोपी ने फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। भारती अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानती है। घटना आज से करीब 6 साल पहले की होकर सुबह 4:30 बजे की है। घटना वाले दिन वह शौच के लिये गई थी। वहां से वह लौटकर आई तब रास्ते में हैन्ड पम्प के पास हाथ धो रही थी तभी वहां पर आरोपी नवल आ गया था और उसकी आरोपी से पानी को लेकर कहा सुनी हो गई थी और कहा सुनी में नवल ने उसे धक्का दे दिया था जिससे वह गिर गई थी और कहा सुनी की आवाज सुनकर उसका भाई मनीष भी वहां आ गया था। इसके अलावा आरोपी ने मेरे साथ कोई घटना कारित नहीं की। घटना के संबंध में उसने थाना चंदेरी गई थी जहां पर उसने रिपोर्ट लिखाई थी और एक आवेदन थाने पर लिखाया गया था जो उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था और न ही उसने उसे पढ़ा था जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

07— भारती अ0सा01 ने बताया कि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्र.पी. 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई और घटना का मानचित्र प्र.पी. 3 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे जो प्र.पी. 4 है तथा

पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल कराया था।

08— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि नवल कोली ने उसकी बेजइती करने के लिये उसके गाल पर किस ले लिया था। इस बात से इंकार किया कि नवल ने उसे अपने हाथों में चपेट लिया था। इस बात से इंकार किया कि उसने घटना के बारे में गजराज, मां कस्तुरी बाई, भाई के साले गजराम तथा उसके पिता शंकरलाल को बताई थी। इस बात से इंकार किया कि उसने लिखित में थाने में रिपोर्ट की थी। साक्षियों को प्र.पी. 1 का ए से ए, पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 2 का ए से ए एवं पुलिस कथन प्र.पी. 4 का ए से ए एवं बी से बी भाग न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकती। इस बात से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही हूँ।

09— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मनीष कोली अ0सा02, कस्तुरीबाई अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानते हैं घटना करीब 6 साल पहले की सुबह के समय की है। भारती एवं आरोपी के बीच कहा सुनी हो गई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि आरोपी नवल ने भारती के गाल पर चुम्मा ले लिया था। इस बात से भी इंकार किया आरोपी नवल ने भारती को दोनों हाथों में चपेट लिया था।

10— भारती अ0सा01 जोकि प्रकरण में स्वयं पीडित हैं ने अभियोजन की घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि आरोपी से उसकी कहा सुनी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना चंदेरी में की थी तथा अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक 16.07.2011 को समय सुबह 4:30 बजे स्थान फरियादिया भारती कोली के मकान के पास ग्राम प्राणपुर में आरोपी ने फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा अभियोजन साक्षी मनीष आ0सा02, कस्तुरीबाई अ0सा03, ने भी घटना का लेसमात्र समर्थन नहीं किया है। जिससे उक्त साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

11— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपी को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त नवल कोली ने दिनांक 16.07.2011 को समय सुबह 4:30 बजे स्थान फरियादिया भारती कोली के मकान के पास ग्राम प्राणपुर में आरोपी ने फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसपर आपराधिक बल का प्रयोग। अतः **अभियुक्त नवल पुत्र राजू जाति कोली उम्र 25 साल निवासी— ग्राम बडापुरा प्राणपुर तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0** को भा.द.वि. की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमान विद्यमान नहीं है।

13- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0